

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 645]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2010—पौष 8, शक 1932

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-36-2009-2-पांच(37).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (66) बी-1-95-07-02-पांच, दिनांक 22 मई, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी के लिए उसके कालम (3) में यथादर्शित होटल बार (एफ.एल.-3) तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) की अनुज्ञप्ति के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की जनसंख्या या श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
होटल बार अनुज्ञप्ति (एफ.एल.-3)		
1	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या दस लाख से अधिक हो	रुपये 7,30,000/-
2	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या पांच लाख से अधिक हो, किन्तु दस लाख से अधिक न हो.	रुपये 5,85,000/-
3	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या तीन लाख से अधिक हो, किन्तु पांच लाख से अधिक न हो.	रुपये 5,10,000/-
4	ऐसे नगर/शहर के लिए, जिसकी जनसंख्या एक लाख से अधिक हो, किन्तु तीन लाख से अधिक न हो.	रुपये 4,40,000/-

(1)	(2)	(3)
5	जिला मुख्यालय के लिए, जिसकी जनसंख्या चालीस हजार से अधिक हो, किन्तु एक लाख से अधिक न हो.	रुपये 3,65,000/-
6	इको/एडवेंचर पर्यटन के अधीन चिन्हित स्थल जो नगर/शहर की आबादी से 5 किलोमीटर से ज्यादा दूरी पर स्थित हों :	
	(क) ए-श्रेणी	रुपये 2,75,000/-
	(ख) बी-श्रेणी	रुपये 2,30,000/-
	(ग) सी-श्रेणी	रुपये 2,15,000/-
7	ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हेरीटेज होटल जो पर्यटन विभाग से मान्यता प्राप्त है	रुपये 1,40,000/-
8	रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञप्ति	रुपये 3,65,000/-
9	मध्यप्रदेश पर्यटन विकास निगम की होटलों के लिए होटल बार अनुज्ञप्ति	रुपये 2,35,000/-

परन्तु होटल बार (एफ.एल.-3) अनुज्ञप्ति तथा रिसोर्ट बार (एफ.एल.-3-ए) अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/स्वीकृति की गई हो.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-36-2009-2-पांच, (37).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2009-2-पांच, (37), दिनांक 29 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th December 2010

F. No. B-1-36-2009-2-V (37).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's Notification No.(66) B-1-95-07-2-V, dated the 22nd May, 2008, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Hotel Bar (F.L.-3) Licences and Resort Bar (F.L.-3-A) Licences, as shown in column (3) of the table below for the population or category of Town/city mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Population or Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
Hotel Bar Licence (F.L.-3)		
1	For a town/city of which the population exceeds Ten lacs	Rs. 7,30,000
2	For a Town/city of which the population exceeds Five lacs but does not exceed Ten lacs.	Rs. 5,85,000

(1)	(2)	(3)
3	For a town/city of which the population exceeds Three lacs but does not exceed Five lacs.	Rs. 5,10,000
4	For a town/city of which the population exceeds One lac but does not exceeds Three lacs.	Rs. 4,40,000
5	For a District Headquarter of which the population exceeds 40,000 but does not exceed One lac.	Rs. 3,65,000
6	Places identified under eco/adventure tourism which are situated at a distance more than 5 kilometers from the town/city of which the population.	
	(a) A-Category	Rs. 2,75,000
	(b) B-Category	Rs. 2,30,000
	(c) C-Category	Rs. 2,15,000
7	Heritage hotels situated in rural areas which are recognized by Tourism Department	Rs. 1,40,000
8	Resort Bar (F. L. 3-A) Licence	Rs. 3,65,000
9	Hotel Bar Licence for Hotels of Madhya Pradesh Tourism Development Corporation	Rs. 2,35,000

Provided that the licence fee shall be as above even if the Hotel Bar (F. L.-3) Licence and Resort Bar (F. L.3-A) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,

R. K. YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-36-2009-2-पांच(38).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (67) बी-1-95-07-02-पांच, दिनांक 22 मई, 2008 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (2) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नगर/शहर की श्रेणी के लिए उसके (सारणी) कालम (3) में यथादर्शित रिसोर्ट बार (एफ.एल.-2) के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात् :-

सारणी

अनुक्रमांक (1)	नगर/शहर की श्रेणी (2)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (3)
1	ग्वालियर, इन्दौर, भोपाल, जबलपुर, सागर, उज्जैन एवं रीवा	रुपये 4,40,000/-
2	कान्हा किसली (जिला मंडला), पेंच (जिला सिवनी), बांधवगढ़ (जिला उमरिया) मांडू (जिला धार), मुक्की (जिला बालाघाट), भीमबेटिका (जिला रायसेन) तथा पचमढ़ी (जिला होशंगाबाद).	रुपये 1,50,000/-
3	भोपाल लेक में क्रूज बोट	रुपये 1,10,000/-

परन्तु रेस्तरां बार (एफ. एफ.-2) अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति फीस उपरोक्तानुसार ही रहेगी, भले ही अनुज्ञप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/स्वीकृत की गई हो.

2. यह अधिसूचना दिनांक 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-36-2009-2-पांच, (38).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2009-2-पांच, (38), दिनांक 29 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th December 2010

F. No. B-1-36-2009-2-V (38).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's Notification No.(67) B-1-95-07-2-V, dated the 22nd May, 2008, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Restaurant Bar (F.L.-2) Licences and shown in column (3) of the table below for the category of Town/city mentioned in the corresponding entry in column (2) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Category of Town/City (2)	Licence fee per annum (3)
1	Gwalior, Indore, Bhopal Jabalpur, Sagar, Ujjain and Rewa	Rs. 4,40,000
2	Kanha Kisli (District Mandla), Pench (District Seoni) Bandhavgarh (District Umarिया), Mandu (District Dhar), Mukki (District Balaghat), Bhimbethika (District Raisen) and Pachmari (District Hoshangabad).	Rs. 1,50,000
3.	Cruise Boat in Bhopal Lake	Rs. 1,10,000

Provided that the licence fee shall be as above even if the Restaurant Bar (F. L.-2) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-36-2009-2-पांच(39).—मध्यप्रदेश विदेशी मदिरा नियम, 1996 के नियम 8 के उपनियम (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक (25) बी-1-14-07-02-पांच, दिनांक 30 मई, 2007 को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम (3) में, तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित नगर/शहर की श्रेणी के लिए उसके (सारणी) कालम (4) में दर्शाए अनुसार वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) तथा सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4)

अनुज्ञप्तियों के लिए वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस विहित करती है, अर्थात् :—

सारणी

अनुक्रमांक (1)	अनुज्ञप्ति का प्रकार (2)	नगर/शहर की श्रेणी (3)	वार्षिक अनुज्ञप्ति फीस (4)
1	वाणिज्यिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) अनुज्ञप्ति.	नगरीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र	रुपये 3,30,000/- रुपये 1,65,000/-
2	सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4)		रुपये 45,000/-

परन्तु व्यावसायिक क्लब बार (एफ.एल.-4-क) तथा सिविलियन क्लब बार (एफ.एल.-4-) के लिए अनुज्ञप्ति फीस उपरोक्तानुसार होगी भले ही अनुज्ञप्ति वर्ष के किसी भाग के लिए दी गई/स्वीकृत की गई हो.

2. यह अधिसूचना 1 अप्रैल 2010 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2010

क्र. बी-1-36-2009-2-पांच, (39).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2009-2-पांच, (39), दिनांक 29 दिसम्बर 2010 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. यादव, अपर सचिव.

Bhopal, the 29th December 2010

F. No. B-1-36-2009-2-V (39).—In exercise of the powers conferred by sub-rule (2) of Rule 8 of the Madhya Pradesh Foreign Liquor Rules, 1996 and in supersession of this department's Notification No.(25) B-1-14-07-2-V, dated the 30th May, 2007, the State Government, hereby, prescribes the annual licence fee for Commercial Club Bar (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F. L.-4) Licences and shown in column (4) of the table below for the category of Town/city mentioned in the corresponding entry in column (3) thereof, namely :—

TABLE

S.No. (1)	Kind of Licence (2)	Category of Town/City (3)	Licence fee per annum (4)
1	Commercial Club Bar (F. L. 4-A) Licence.	Urban Places Rural Places	Rs. 3,30,000 Rs. 1,65,000
2	Civilian Club Bar (F. L.-4)		Rs. 45,000

Provided that the licence fee shall be as above even if the Commercial Club (F.L.-4-A) and Civilian Club Bar (F.L.-4) Licence is given/sanctioned for a part of the year.

2. This Notification shall be deemed to have come into force with effect from 1st April, 2010.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
R. K. YADAV, Addl.Secy.